हितरक्षा

- मा. शिवराम कृष्ण

आंध्र प्रदेश में वनवासी क्षेत्र में अच्छा प्रशासन है। वनवासी क्षेत्र के मुख्यालय में कलेक्टोरेट बने हुए हैं। मैं वहां दिखाई देने वाले अनियमितता के बारे में पूछताछ करता रहता था, कोई भी निर्णय कैसा लिया गया यह जानने के लिये सरकारी फाईल का अध्ययन करना था जिससे शासन में कौन से स्तर पर कौन से निर्णय कैसे लिये जाते हैं यह जानकारी प्राप्त हुई।

एक प्लायवूड कंपनी को जंगली आम काटने का लाईसन्स मिला। जंगली आम पर जानवरों का व वनवासी का जीवन निर्भर होता है इसलिये जीवन और जीविका के अधिकार के तहत हमने हाइकोर्ट में केस फाईल की और स्टे प्राप्त किया। सरकार और कान्ट्रेक्टर ने कहा कि नियम के अनुसार ही हम पेड काट रहे हैं। अध्ययन कर हमने रिपोर्ट दिया की नियम का पालन नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने कमीश्नर का दायित्व देकर नियम पालन का अधिकार हमें ही दिया। उसे कड़ाई से लागू करने पर प्लायवूड फेक्टरी बंद हो गयी।

कानून व संविधान में प्रावधान के साथ कुछ शर्ते भी है। शासन के कुछ नियम भी बने होते हैं। इसकी जानकारी चाहिये, जो साधारण वकिलों को नहीं होती। सरकारी शासन कागज पर ही चलता है- कौनसा कागज जरूरी है यह समझकर उसे प्राप्त करना पड़ेगा। मैंने 3 वर्षो में 5 केसेस जीते, यह संभव है, बुद्धी व व्यूह रचना आवश्यक है।

वनवासी के पास पट्टा होने के बावजूद अपनी जमीन कहां है यह मालूम नही होता। या जिस जमीन पर खेती कर रहे है उसका पट्टा नहीं होता। हमने सभी लेण्ड रेकार्ड प्राप्त कर उसकी टाईप कॉपी बनवा ली। वनवासी को जो थोडी बहुत जानकारी है उसके आधार पर उसे सर्वे नंबर निकालकर दिया उससे उसे नक्शे पर अपनी जमीन कहां है यह पता लगकर-जमीन व पट्टा पाने में सुविधा हुई। सरकार ने भी 1917 के बाद का संपूर्ण लैण्ड रेकार्ड वनवासी को उपलब्ध कराया। परंतु केवल केस जीतने से जमीन नहीं मिलती इसलिये समाज का निश्चय चाहिये।

बाजार में वनौपज लेकर आने वाले वनवासी को व्यापारी कुछ थोडा बहुत देकर रवाना कर देते है। वनवासी अपने वस्तु का न वजन जानता है न उसका मूल्य। हमने बाजार में एक कांटा लगाया और बाजार भाव के अनुसार उसका कितना दाम मिलना चाहिये यह लिखके देने लगे। व्यापारियों ने विरोध और हडताल भी किया परंतु बाद में उसके अनुसार खरीदने लगे। पुलिस को रिपोर्ट देकर हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया गया। परंतु एस.पी. ने हस्तक्षेप कर उन्हें छुड़ाया।

इन सब कामों के कारण हमारा प्रभाव बढ़ता गया और सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँच बनी जिससे वनवासी की समस्या सुलझाने में सुविधा हुई।

आज हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे है। आप पहले ज्ञान और तंत्र प्राप्त कीजिये और उसके बाद वनवासी को सिखाइये। वह अपनी समस्या खुद सुलझा लेगा। प्रारंभ में ही बहुत बड़ी समस्या लेकर कुरुक्षेत्र में मत कुदीये। पहले छोटे क्षेत्र की छोटी समस्या सुलझाकर प्रत्यक्ष कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करें। झारखंड में जमीन है तो पट्टे नहीं और पट्टे है तो जमीन नहीं यह स्थिति बहुत बडी प्रमाण में है। वहां प्रयास करना चाहिये।

समाज को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से काम करना यही सफलता है। रेवेन्यू-राजस्व, पुलिस, वन विभाग, कोर्ट व बाजार से वनवासी डरता है। ये सभी उसे डराते हैं। समस्या कानून की नहीं सरकारी कर्मचारियों की है। जब पट्टा नहीं था तो वनवासी जहां भी जमीन खाली दिखती थी वहां पर खेती करता था। अब पट्टा मिला है परंतु जमीन उसे दिखाई नहीं गयी इसलिये वह वहां खेती नहीं कर सकता।

एक गांव में शराब कान्ट्रेक्टर ने शराब दुकान खोला और स्थानिक लोगो का पूजा व घरेलु उपयोग के लिये भी शराब बनाना बंद कर दिया। हमारे पास समस्या आने पर हमने नोटिस दिया व दुकान बंद न होने पर उसे ताला लगवा दिया। चार

लोग और उसके साथ मुझे भी गिरफ्तार किया गया। समाचार पत्र में खबर छपी, शासकीय अधिकारी सक्रिय हुए और दुकान बंद किया गया। उस ठेकेदार को केवल 4 जगह दुकान खोलने का अधिकार था वह भी अजनजातिय क्षेत्र में परंतु लाइसन्स का लाभ लेकर उसने जगह जगह दुकान खोले थे। कानून की अनुमति न होने पर भी लोग गुंडागर्दि कर मनमानी करते है।

हमारी शिक्षा इसलिये है कि हम लोगों का साथ दें उनकी मदत करें। दोनों मार्ग होते है-

1) निचे से उपर जाना- लोगों को खड़ा कर-उनमें सुधार कर कार्य करवाना ।

2) ऊपर से निचे आना- अधिकारी-कानून का सहारा लेकर समस्या सुलझाना।